

न्यायालय अति० कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर(राजस्थान)

प्रकरण संख्या:- 14/2012 (धारा-3 राज० गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975)

राजस्थान सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजेन्द्र पुत्र शिवचरन जाति जाटव निवासी रारह थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर।

अप्रार्थी

इस्तगासा अंतर्गत धारा-3 राज० गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975 विरुद्ध राजेन्द्र पुत्र शिवचरन जाति जाटव निवासी रारह थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर।

उपरिस्थित :

1. सहायक लोक अभियोजक।
2. श्री राजकुमार वकील अप्रार्थी।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 13.12.2017

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा यह इस्तगासा अंतर्गत धारा-3 राज० गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975 अप्रार्थी राजेन्द्र पुत्र शिवचरन जाति जाटव निवासी रारह थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर के विरुद्ध पत्र क्रमांक 2131 दिनांक 23.2.2012 के जरिये न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया है। अप्रार्थी के खिलाफ प्रस्तुत किये गये इस्तगासा में अंकित किया है कि अप्रार्थी रारह थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर का निवासी है जो एक बदमाश किस्म

का व्यक्ति है एवं आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना हाजा पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर चालान न्यायालय पेश हुये हैं तथा न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है। यह व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अपराध कर आम जनता व समाज को दूषित कर रहा है। अतः अप्रार्थी की उक्त गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक होने से इस शख्स के खिलाफ धारा-3 राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी के आपराधिक रिकार्ड निम्नानुसार है—

| क्र. | मु0न0  | धारा            | चार्जशीट संख्या | नतीजा न्यायालय     |
|------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1    | 164/08 | 13 आरपीजीओ एक्ट | 112/08          | 100 रुपये जुर्माना |
| 2    | 199/08 | 13 आरपीजीओ एक्ट | 139/08          | 100 रुपये जुर्माना |
| 3    | 97/09  | 13 आरपीजीओ एक्ट | 60/09           | 100 रुपये जुर्माना |
| 4    | 221/09 | 13 आरपीजीओ एक्ट | 134/09          | 100 रुपये जुर्माना |
| 5    | 237/09 | 13 आरपीजीओ एक्ट | 148/09          | 100 रुपये जुर्माना |

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। साक्ष्य हेतु इस्तगासा में अंकित उपस्थित आये गवाहों के बयान दर्ज किये गये। नियत दिनांक 13.12.2017 को बहस सुनी की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह इस्तगासा जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा पत्रांक 2131 दिनांक 23.2.2012 के जरिये प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी पर दायर वर्ष 2008-2009 में उपरोक्तानुसार 5 मुकदमों जो सभी 13 आरपीजीओ के है एवं सभी का सक्षम न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाना अंकित करते हुये अप्रार्थी के खिलाफ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश किया है। उपस्थित आये गवाहों के द्वारा इस्तगासा की ताईद करते हुये गैर सायल के विरुद्ध इस्तगासा में अंकित आरोपों की पुष्टि किया जाना स्वीकार किया है किन्तु अप्रार्थी के खिलाफ वर्तमान में या इस्तगासा में दर्जित मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमे दर्ज होने के बारे में जानकारी न होना व्यक्त किया गया। अदालत हाजा के समक्ष राजकीय पक्ष की ओर से भी इस बाबत कोई पुष्टि नहीं की गई है। जबकि अपने वाद के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य सबूत पेश किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी पर ही रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस्तगासा में अंकित गैर सायल के खिलाफ दायर एवं निर्णित मुकदमों के अलावा अन्य कोई नवीन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ और न ही वर्तमान में कोई विचाराधीन है। यदि वर्तमान में गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण दायर/विचाराधीन होता तो न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया जा सकता था। इसके अलावा थानाधिकारी पुलिस थाना उद्योग नगर, भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 4178

दिनांक 9.11.2017 में भी गैर सायल के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी न करते हुये अगवत कराया है कि गत दो-तीन सालों से संबधित थाना पर गैर सायल के खिलाफ कोई नवीन प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। इस्तगासा में दायर नतीजो से जाहिर है कि अप्रार्थी को केवल आरपीजीओ के प्रकरणों में ही 100-100 रू0 के दण्ड से दण्डित किया गया है। इनके अलावा अन्य कोई प्रकरण गैर सायल के खिलाफ दर्ज होने बाबत तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश न किये जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन परिस्थितियों को वर्तमान में आधार बनाया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। परिस्थितियां बदल गई हो सकती है, व्यक्ति की अपनी आदतों में परिवर्तन हो सकता है, और निरोध करने की आवश्यकता खत्म हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम निरोधात्मक है न कि दण्डात्मक। इस प्रकरण में इस्तगासा में जो प्रकरण गैरसायल के खिलाफ अंकित किये गये है वे वर्ष 2008-2009 के है जिनका तत्समय ही समक्ष अदालत द्वारा निर्णय किया जा चुका है। इसके अलावा वर्तमान में अप्रार्थी के चालचलन बाबत ऐसा कोई तथ्य अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे उसके वर्तमान में भी आपराधिक प्रवृत्ति की निरन्तरता को माना जा सके। संबधित थाना उद्योग नगर की रिपोर्ट भी गैर सायल के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आज के हालातों को नजर-अंदाज करते हुये करीब 9-10 साल पुराने मुकदमों को आधार बनाया जाकर गैर सायल के विरुद्ध राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधि0 के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार यह इस्तागासा वर्तमान परिस्थितियों के मध्यनजर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर